न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — **रूक्मणि रियार सिहाग**
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
371/अपील/18	12.09.2018	13.11.2019

राधेश्याम आ0 ओमप्रकाश जाति कुम्हार,
निवासी ग्राम ठीकरदा, तहसील एवं जिला बून्दी

— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बून्दी

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से श्री लीलाधर सिंह, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील तहसीलदार बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.18 (मिसल संख्या 05/2018) से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी है। जिसमें अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब पेश कर निवेदन किया था कि राजस्थान सरकार के संयुक्त शासन सचिव, राजस्व ग्रुप–6 विभाग के आदेश कमांक 6.(31) राज–6/14/पार्ट जयपुर दिनांक 06.07.2018 से कुम्हार समाज के लिये जारी गाइड लाईन के अनुसार स्वयं के खातेदारी की भूमि के अतिरिक्त किराये की भूमि पर ईट भट्टा, आवा, कजावा, लगाये जाने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 6 के अनुसार यदि कोई खातेदारी अपनी कृषि भूमि पर एक एकड़ सीमा तक कजावा (छोटा ईट भट्टा) स्थापित करना चाहता है तो भूमि संपरिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, भूमि खातेदारी में बनी रहेगी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की असत्य रिपोर्ट को आधार मानकर, बिना मौके की रिपोर्ट तलब किये और बिना हल्का पटवारी के बयान दर्ज किये अपीलांट के विरूद्ध शास्ती आरोपित की गई एवं ईट भट्टे की समस्त ईटों को जप्त करने का आदेश पारित किया गया, जो विधि के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाना न्यायहित में है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.06.18 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट ने बिना किसी विधिक अधिकार के जिस भूमि पर अतिक्रमण किया है वह किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी की कृषि भूमि है। अपीलांट द्वारा राज्य सरकार के नियमों की अवहेलना की जाकर ईट भट्टा संचालित किये जाने की पुष्टि रिपोर्ट हल्का पटवारी से होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलांट द्वारा पेश जवाब दिनांक 12.06.18 का नियमों के परिप्रेक्ष्य में समुचित परीक्षण कर अपीलधीन निर्णय पारित किया है। ऐसे में अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का अपीलांट का आरोप निराधार प्रतीत होता है।

जिला कलेक्टर; बून्दी

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपीलांट ने कृषि भूमि खसरा संख्या 387/30 रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी–III खातेदारी भूमि वाके ग्राम केसरपुरा खातेदार प्रेमशंकर, पप्पूलाल पि0 भंवरलाल कौम माली निवासी खटकड़ में से 1 बीघा 13 बिस्वा पर ईटभट्टा लगाकर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90(ए) सहपठित धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध ईट भट्टे को जप्त किये जाने तथा 66/– रू. शास्ति से दण्डित किया गया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार राधेश्याम आ0 ओमप्रकाश जाति कुम्हार सा0 ठीकरदा द्वारा खसरा नं0 387/30 में से 13 बिस्वा पर ईट भट्टा एवं 1 बीघा पर ईट थपाई में उपयोग लिया जा रहा है, जबकि उक्त कृषि भूमि प्रेमशंकर, पप्पूलाल पि0 भंवरलाल जाति माली निवासी खटकड़ की खातेदारी भूमि है। अपीलांट की ओर से उक्त कृषि भूमि पर उसके स्वत्व के संबंध में कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश होना नहीं पाया गया है। राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 6 के अनुसार यदि कोई खातेदारी अपनी कृषि भूमि पर एक एकड़ सीमा तक कजावा (छोटा ईट भट्टा) स्थापित करना चाहता है तो भूमि संपरिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी, भूमि खातेदारी में बनी रहेगी। किन्तु यहां अपीलांट के विरूद्ध उक्त कार्यवाही किये जाने का आधार यही है कि उक्त कृषि भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि नहीं है। अन्य खातेदार की कृषि भूमि पर अपीलांट द्वारा लगाया गया ईट भट्टा नियमानुसार नहीं है। इस प्रकार अपीलांट का ईट भट्टा नियम विरूद्ध होने जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस एवं सुनवाई का अवसर देकर ही नियमों में निहित प्रावधानों एवं तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 13.11.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2019.11.29 17:14:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: